—:: इंदिरा आवास योजना ::—

/ /प्रस्तावना / /

आवास मनुष्य की एक अनिवार्य आवश्यकता है । ग्रामीण क्षेत्र में गरीबी रेखा के नीचे जीवन बसर कर रहे आवासहीन व जिनके पास रहने के लिए उपयुक्त आवास नहीं होते हैं उन्है आवास निर्माण हेतु आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के लिए इंदिरा आवास योजना का प्रारंभ किया जाकर वर्ष 1996—97 से स्वतंत्र रूप में क्रियांवित की जा रही है ।

उद्देश्य :—

इंदिरा आवास योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले आवास हीन लोगों कों आवास निर्माण के लिए आर्थिक सहायता प्रदान कर निशुल्क आवास उपलब्ध कराना है ।

प्रमुख बिन्दु :—

1. केन्द्र प्रवर्तित योजना है आवास निर्माण हेतु भारत सरकार 75 : व राज्य सरकार 25 : राशि उपलब्ध कराती है ।
2. जिले वार राशि का निर्धारण भारत सरकार व्दारा किया जाता है ।
3. आवास का निर्माण स्वयं हितग्राही व्दारा किया जाता है ।
4. उपलब्ध संसाधनों का 60 : अ.जा. एवं अ.ज.जा. वर्ग पर एवं 40 प्रतिशत अन्य वर्ग के लोगों के आवास पर व्यय करने का प्रावधान है ।
5. हितग्राही का चयन ग्राम सभा व्दारा किया जाता है ।

/ / हितग्राहियों के चयन की प्राथमिकता / /

ग्राम सभा व्दारा हितग्राहियों का चयन किया जावेगा ओर प्राथमिकता के आधार पर नामों को सूची बध्द किया जावेगा । प्राथमिकता निम्नानुसार है :—

1. विमुक्त बंधुआ मजदूर
2. अ.जा. / अ.ज.जा. के परिवार
3. अ.जा. / अ.ज.जा. के परिवार जो अत्याचारों से पीडित हैं ।
4. अ.जा./ अ.ज.जा. परिवार जिनकी मुखिया विधवा या अविवाहित महिलायें हैं
5. अ.जा./ अ.ज.जा. परिवार जो बाढ, आगजनी, भुकम्प,चक्रवात तथा इसी प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं से पीडित हैं ।
6. अ.जा./ अ.ज.जा. के अन्य परिवार
7. युध्द में मारे गये सुरक्षा सेवाओं के कार्मिक / अर्ध्द सैनिक बलों की विधवायें / परिवार
8. गैर अ.जा./ अ.ज.जा. के परिवार
9. शारीरिक रूप से विकलांग
10. अर्ध्द सैनिक बलों के एक्स सर्विस मेन / व सेवा निवृत्त
11. विकासत्मक परियोजनाओं के कारण विस्थापित हुए व्यक्ति खाना बदोश, तथा निर्दिष्ट आदिवासी, विकलांग सदस्यों वाले परिवार आंतरिक शरणार्थी बशर्ते वे गरीबी की रेखा के नीचे हों ।

/ /योजना के अन्य महत्व पूर्ण बिन्दु / /

1. योजना के अंतर्गत भू—खण्ड का आवंटन एवं आवासों के निर्माण कीस्वीकृति परिवार कीअविवाहित , विधवा, महिला सदस्य के नाम अथवा संयुक्त नाम (पत्नि + पति)से किया जावे ।

2. कुल लक्ष्य का 3 % आवास संख्या जिला स्तर पर सुरक्षित रहेगी कतिपय कारणों से कुछ ऐसे हितग्राही जिन्हे आवास की पात्रता एवं नितांत आवश्यकता होती है , चयन प्रक्रिया से छुट जाते हैं , लक्ष्यों के ग्राम पंचायतों में बट जाने से उन्है आवास सुविधा नहीं मिल पाती है यह आरक्षण उनके लिए है । इसमें नवीन आवास एवं आवास उन्नयन सम्मिलित रहेगें

3. इस आरक्षित कोटे से महिलाओं को जो विधवा , अविवाहिता, परित्यकता परिवार की प्रमुख महिला हो अथवा युध्द में शहीद हुए सैनिक / अर्ध्द सैनिक बल के सदस्यों की विधवा या उनके संबंधित अथवा भूतपूर्व सैनिकों को जो आवासहीन हों को आवास उपलब्ध कराये जावें । किसी प्राकृतिक आपदा, अत्याचार के शिकार परिवार जिनके आवास

नष्ट हो गये हों । या हाल ही में विमुक्त बंधुआ मजदूर या विकलांग प्रमुख वाले परिवारों के लिए भी इन कुटीरों का आवंटन किया जा सकेगा । उक्त श्रेणीयों के अलावा यह सुविधा किसी और को उपलबध नहीं होगी ।

4. आवास योजना के अंतर्गत स्वच्छ शौचालय एवं धुँआ रहित चुल्हा का निर्माण हितग्राही व्दारा कराया जाना अनिवार्य ।

राशि का आवंटन :—

जिला पंचायत को केन्द्र सरकार से प्राप्त राशि एवं राज्य सरकार से प्राप्त राशि का आवंटन ग्राम पंचायतों को अनु.जाति / अनु.जनजाति की जन संख्या एवं कुल जन संख्या के अनुपात के आधार पर किया जावेगा । नवीन आवास निर्माण हेतु लक्ष्य निर्धारित कर दो किश्तों में राशि हितग्राही के बैंक खाते में प्रदान की जायेगी ।

1 जिला पंचायत व्दारा ग्राम पंचायत को लक्ष्य के अनुरूप कुटीर की सम्पूर्ण लागत नवीन आवास हेतु राशि रूपये 45,000/— (कुटीर निर्माण , स्वच्छ शौचालय , धुँआ रहित चुल्हा हेतु) की आधी राशि रूपये 22,5000/—प्रथम किश्त के रूप में प्रति हितग्राही के मान से प्रत्येक हितग्राही के बैंक खाते में रेखांकित चैक व्दारा जमा करायी जाएगी । इसी प्रकार परिशिष्ट—3 में उपयोगिता प्रमाण—पत्र प्राप्त होने पर द्वितीय किश्त की राशि रु 22,500/— हितग्राही के बैंक खातें में चेक के माध्यम से प्रदान की जाएगी ।

3 *सम्पर्क सुत्र : — सरपंच —सचिव ग्राम पंचायत जिला इन्दौर*